

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 प्रकरण क्रमांक 330 / 2016
 संस्थापित दिनांक 22 / 06 / 2016
 फाईलिंग नम्बर 3007582016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- नीरज पुत्र मानपाल जाटव उम्र 27 साल
 निवासी—ग्राम जियाजपुर, थाना गोहद जिला
 भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 354 भा.दं.सं)
 (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार)
 (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री बी0एस0यादव ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 22 / 12 / 2016 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 20.02.16 को 17 बजे अभियोक्त्री के मकान के दरवाजे के चबूतरे पर ग्राम जियाजीपुरा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 354 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजना घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.16 को अभियोक्त्री घर पर अकेली थी, उसका पति अभिलाख एवं सास—ससुर भागवत सुनने गये हुये थे। समय करीबन 5—6 बजे थे। अभियोक्त्री अपने घर के दरवाजे पर अकेली बैठी थी तभी आरोपी नीरज वहां आया था। आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया था और उसे घर के अंदर चलने को कहा था। अभियोक्त्री ने घर के अंदर जाने से मना किया था तो वह भाग गया था। शाम को सात बजे जब उसके पति और सास—ससुर वापिस आये थे तो उसने सारी घटना उन्हें बतायी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट गोहद थाने पर की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 62 / 16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

- क्या आरोपी ने दिनांक 22 / 02 / 16 को 17 बजे अभियोक्त्री के मकान के दरवाजे के चबूतरे पर ग्राम जियाजीपुरा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से

उसका हाथ पकड़कर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ.सा. 1 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की आरे से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री अ.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दस-ग्यारह महीने पहले की शाम चार-पांच बजे की है, उसका आरोपी से मुंहवाद हो गया था अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था और उसे घर के अंदर चलने को कहा था। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने घर के अंदर जाने से मना किया था तो आरोपी भाग गया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है। उसने आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी 3 में पुलिस को बतायी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने न्यायालयीन कथन प्रदर्श पी 4में आरोपी द्वारा छेड़ाछाड़ करने वाली बात बताई थी।

7. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

8. प्रकरण में अभियोक्त्री अ.सा. 1 ने अपने कथन में आरोपी नीरज से मात्र मुंहवाद होना बताया है एवं व्यक्त किया है कि मुंहवाद के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक को उसका हाड़ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस प्रकार अभियोक्त्री अ.सा. 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी नीरज ने अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

9. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे। यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 22.02.16 को 17 बजे अभियोक्त्री के मकान के दरवाजे के चबूतरे पर ग्राम जियाजीपुरा गोहद में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी नीरज को भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

11. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जब्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 22/12/2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही/

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)